न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—147/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00202)

1. घनश्याम पुत्र देवीलाल सोलंकी, जाति राजपूत, निवासी पीपलाज, तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गीता उर्फ लाली पुत्री लक्ष्मीनारायण
2. रामगोपाल पुत्र नानूराम (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 मुन्नीदेवी पत्नी रामगोपाल
   2/2 पिनिया पुत्री रामगोपाल
   2/3 निरंजन सिंह राणावत उर्फ कालू पुत्र रामगोपाल
   समस्त जाति दरोगा निवासी पीपलाज तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर।
3. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) केकडी, हाल तहसील सावर जिला अजमेर।
4. पृथ्वीराज सिंह पुत्र ओंकार सिंह जाति राजपूत, निवासी पीपलाज तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 158/2005

उपस्थितः—

1. श्री शशिकांत जोशी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजयसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री गिरिश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
5. श्री आर0पी0शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः—14.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट/वादी ने विरूद्ध रेस्पोडेंट 1 ता 3/प्रतिवादीगण के एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया बाद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिए अभिभाषक विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी के राजस्व वाद को निरस्त फरमाने का अनुतोष चाहा। बाद सूचना प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनका जवाब बंद कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में 4 तनकियात कायम की गई। उक्त तनकीयात विरचित करने के उपरांत विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों की बहस समयात कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 से अपीलांट वादी का राजस्व वाद पत्र निरस्त फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि कृषि भूमि स्थित ग्राम पीपलाज के गत खसरा संख्या 1297 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि अपीलान्ट/वादी को सक्षम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तत्समय के प्रचलित आवंटन नियमों के अनुसरण में सन् 1966 में 10 वर्ष अर्थात सम्वत् 2022 से 2031 के लिये आवंटित की गई थी एवं आवंटन के उपरान्त उक्त आराजी पर अपीलान्ट/वादी को संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जा काश्त भी संभला दिया गया था। यहां यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आवंटन आदेश के उपरान्त उक्त 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि के गैर खातेदारी अंकनो का नामान्तरणकरण संख्या 449 दिनांक 13.08.1969 (प्रदर्श पी–1) वादी/अपीलान्ट के नाम संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत फरमा दिया गया। निर्धारित 10 वर्ष की समयावधि तक वादी/अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियमों की किसी भी शर्त का उल्लघंन न करने एवं विवादित्त आराजी पर निरन्तर काश्त करने पर सक्षम राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी/अपीलान्ट को आवंटित आराजी की खातेदारी प्रदत्त कर दी गई (जो जमाबन्दी सम्वत् 2026 से पूर्णतः रोशन है)। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में गत खसरा संख्या 1297 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि सिवायचक अंकित है जिससे पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त आराजी आवंटन हेतु उपलब्ध थी एवं कोई कानूनी बाधा एवं रूकावट आवंटन के लिये नहीं थी। वादी/अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अहम दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रदर्श पी–7 से पी–11 के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट को आवंटित भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने गत खसरा संख्या 1297/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के रूप में अंकित करते हुये सम्वत् 2023 से निरन्तर 2041 तक मौके पर वादी/अपीलान्ट की काश्त अभिलिखित की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में तनकी संख्या 1 को निर्णित करते समय अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 3, 4 व 5 में मात्र वादी अभिभाषक तथा प्रतिवादी अभिभाषक की बहस व उनके कुछ दस्तावेज का अंकन किया है तथा उक्त तनकी को पृष्ठ संख्या 5 के पैरा संख्या 2 में मात्र सरसरी तौर पर नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड फाइडिंग से निम्नानुसार निर्णित किया हैः– "यहाँ उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी (वर्किंग)

सम्वत् 2041 की नकल दिनांक 19.07.2005 को जारी की गई है तथा प्रतिवादी ने भी वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 की नकल पेश की है जो नकल प्रतिवादी को दिनांक 14.11.2006 को जारी की गई है। दोनो प्रतिलिपि खाता नम्बर 1 की पेश की गई है जिसमें अन्तर होना जाहिर होता है। चूंकि वादी द्वारा चाही गई आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। अब तनकी संख्या 1 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।" विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करते समय पत्रावली पर मौजूद उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को पूर्णतः दरकिनार व नजरअंदाज करते हुये मात्र जमाबन्दी सम्वत् 2041 की प्रविष्ठियों के आधार पर अपना निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि विचारण न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों यथा सम्वत् 2041 से पूर्व के राजस्व अभिलेख का विवेचन व विश्लेषण करते हुये उन पर अपनी फाइडिंग देकर तथा मूल प्रकरण की जड़ो तक जाकर सारभूत रूप से अपना निर्णय पारित करना चाहिए था ताकि पक्षकरान के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण विधि सम्मत व न्याय सम्मत तौर पर हो सके तथा उन्हें सारभूत न्याय की प्राप्ति हो सके। उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक प्रास्थिति के आधार पर एवं प्रदर्श पी–1 से पी–11 के अवलोकन मात्र से पूर्णतः स्पष्ट है कि तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने वादी के विरूद्ध तय की है जो न्याय की कतई मंशा नहीं है इसलिये निर्णय व डिक्री प्रश्नगत अपील के माध्यम से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), केकड़ी ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय तनकी संख्या 2 को वादी के पक्ष में साबित होने के बावजूद वादी के विरूद्ध तय की है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य (प्रदर्श पी–1 से पी–11) से पूर्णतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी को आवंटित की गई थी एवं आवंटन के रोज से ही वादी उक्त आराजी पर निरन्तर निर्बाध काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी/अपीलान्ट का आवंटन आज रोज तक खारिज भी नहीं हुआ है इसलिये वादी/अपीलान्ट स्थाई निषेधाज्ञा का पूर्णतः हक रखता है। वादी/अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अहम दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रदर्श पी–7 से पी–11 के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट को आवंटित भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने गत खसरा संख्या 1297/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के रूप में अंकित करते हुये सम्वत् 2023 से निरन्तर 2041 तक मौके पर वादी/अपीलान्ट की काश्त अभिलिखित की है। उक्त प्रास्थिति से पूर्णतः स्पष्ट है कि तनकी संख्या 2 वादी/अपीलान्ट के पक्ष में साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध तय की है जो न्याय की कतई मंशा नहीं है, इसलिये निर्णय व डिक्री प्रश्नगत अपील के माध्यम से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), केकडी ने प्रश्नगत राजस्व वाद पत्र में "तनकी न.–4 आया विवादित भूमि श्री पृथ्वी राज सिंह के कब्जे काश्त में होने से उसे पक्षकार नहीं बनाने से दावा खारिज योग्य है" कायम की गई है। जबकि उक्त तनकी ही गलत रूप से कायम की गई है क्योंकि वादी/अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं सवहन से पृथ्वीराज सिंह पक्षकार के रूप में संयोजित होने से रह गया था तो न्यायालय स्वयं उसे जाप्तादीवानी के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकता था। उक्त तनकी इस आधार पर कायम की जानी चाहिए थी कि "पृथ्वीराज सिंह विवादित आराजी का क्रेता है इसलिये उसे पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए।" किन्तु विचारण न्यायालय ने बगैर किसी कब्जे काश्त के सबूत के उक्त तनकी कब्जे के बिन्दु पर कायम की जो कि पूर्णतः गलत है, इसलिये निर्णय व डिक्री प्रश्नगत अपील

के माध्यम से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट द्वारा पृथ्वीराज सिंह को सहवन से पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है एवं पृथ्वीराज सिंह विवादित आराजी का क्रेता है इसलिये प्रश्नगत प्रथम अपील में उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के रूप में संयोजित किया जा रहा है ताकि समस्त पक्षकारान को सुनकर सारभूत निर्णय की प्राप्ति हो सके। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट ने यह भलीभांती साबित कर दिया था कि उसे सक्षम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गत खसरा संख्या 1297 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा में से 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी/अपीलान्ट को सन् 1966 में आवंटित की गई है तथा आवंटन के अनुसरण में नामान्तरणकरण संख्या 449 वादी के पक्ष में गैर खातेदारी का तस्दीक फरमाया जा चुका है। जमाबन्दी सम्वत 2026 में उक्त आराजी खसरा संख्या 1542 वादी/अपीलान्ट के खातेदारी में अंकित हो चुकी थी। तब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि खसरा संख्या 1542 जब वादी/अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज हो चुका था तब उसकी खातेदारी कैसे व किस आदेश विलोपित हुई एवं प्रतिवादीगण के नाम कैसे अंकित हुई? विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट ने विवादित आराजी के गत दोनों मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर दिया था, जिससे यह तो स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1297 कई खसरो में परिवर्तित हो चुका है, किन्तु समस्त नये खसरो में से किसी भी खसरे पर वर्तमान में वादी/अपीलान्ट की खातेदारी अंकित न होना अपने आप में संदिग्ध है तथा वादी/अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल असर डालने वाला तथ्य है। वादी ने अपने राजस्व वाद पत्र में भूमि धारक तहसीलदार केकडी को बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया था, किन्तु उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रास्थिति के बाबत् किसी भी प्रकार का प्रकथन या अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया, जबकि इनका दायित्व था कि वे उक्त प्रास्थिति के बाबत् न्यायालय को अवगत कराते। वर्तमान में वादी/अपीलान्ट का 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त तो मौके पर चला आ रहा है, किन्तु वर्तमान के राजस्व अभिलेख में खातेदारी कही अंकित नहीं है जिससे वादी/अपीलान्ट अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो चुका है। विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वे सम्बन्धित तहसीलदार से उक्त प्रास्थिति के बाबत् राजस्व अभिलेख की विस्तृत रिपोर्ट व अभिवचन प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित करते, जो उनके द्वारा नहीं की गई है इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री इस आधार पर भी निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 1297 रकबा 14–18–00 बीघा में से रकबा 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयलाल दरोगा निवासी पिपलाज के नाम आवंटन की जाकर नामांतकरण संख्या 486 दिनांक 13.7.1969 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज की गई तभी से प्रतिवादीया के पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। विवादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 1297 का नया खसरा नम्बर 1542 रकबा 4–6–00 बीघा भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के नाम गैर खातेदारी से नामांतकरण संख्या 174 दिनांक 20.6.1992 के द्वारा खातेदारी

प्रदान की गई व इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संख्या 2041 में दर्ज है व प्रतिवादीया नम्बर 1 के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी। प्रतिवादीया नम्बर 1 के पिता लक्ष्मीनारायण का देहांत हो गया है व मृतक लक्ष्मीनारायण की एक मात्र वारिस प्रतिवादीया नम्बर 1 ही है तथा विरासत के नामांतकरण संख्या 250 दिनांक 11.2.1993 के द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1542 प्रतिवादीया नम्बर 1 लाली उर्फ गीता के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है व प्रतिवादीया नम्बर 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। विवादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 1542 रकबा 4–6–00 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 रामगोपाल पुत्र नानूराम राणावत व पृथ्वीराजसिंह पुत्र ओंकारसिंह राजपूत निवासी पिपलाज ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के प्रतिवादी नम्बर 1 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से विवाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 व पृथ्वीराजसिंह राजपूत निवासी पिपलाज के कब्जे काश्त में चली आ रही है। नामांतकरण संख्या 281 दिनांक 8.6.1993 के द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1542 रकबा 4–6–0 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व पृथ्वीराजसिंह राजपूत निवासी पिपलाज के खातेदारी में दर्ज की गई है इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2041 में दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 1542 रकबा 4–6–00 बीघा का नया खसरा नम्बर 794 प्रतिवादी संख्या 2 व पृथ्वीराजसिंह राजपूत निवासी पिपलाज की खातेदारी व कब्जे स्वामित्व में चली आ रही है जिसमें वादी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त हक अधिकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 1542 रकबा 4–6–0 बीघा का नया खसरा नम्बर 794 भू प्रबंध के समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के नाम दर्ज कर दी गई है जो दुरूस्त की जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व पृथ्वीराजसिंह पुत्र ओंकारसिंह राजपूत निवासी पिपलाज के नाम खातदेारी में दर्ज की जाना न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट/वादी द्वारा विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त वाद में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा दावे व जवाब दावे के आधार पर उक्त प्रकरण में 4 तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.2024 को समस्त तनकियों को वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 29.12.2014 को खारिज करते हुए प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

उक्त विवादित आराजीयात ग्राम पीपलाज हाल तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित आराजी है जिसके भू संशोधन से पूर्व खसरा नम्बर 1297, दौराने भू संशोधन खसरा नम्बर 1542 व उक्त आराजीयात के वर्तमान खसरा नम्बर 794 रकबा 0.70 है0 है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–पी 1 के अनुसार खसरा नम्बर 1297 घनश्याम पुत्र देवीलाल सोलंकी के नाम गैर

खातेदार आवंटन संवत 2022 से 2031 दर्ज है। जो कि नामांतरकरण संख्या 449 दिनांक 13.8.1969 अपीलांट के नाम स्वीकृत किया गया था। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 जो कि प्रदर्श पी–3 है उसमें उक्त आराजीयात सिवायचक दर्ज है। जबकि भू संशोधन जमाबंदी संवत 2026 में घनश्याम वल्द देवीलाल कौम सोलंकी साकिन देह खातेदार दर्ज है। जबकि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पर वादी की निरंतर काश्त अभिलिखित है जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 प्रदर्श पी–7 में घनश्याम वल्द देवीलाल दर्ज है। इसी अनुसार प्रदर्श पी–8, प्रदर्श पी–9, प्रदर्श पी–10 व प्रदर्श पी–11 में भी उक्त खसरा गिरदावरी घनश्याम वल्द देवीलाल कौम सोलंकी साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है। जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 1297/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के रूप में अंकित करते हुए संवत 2023 से 2041 तक मौके पर वादी/अपीलांट द्वारा निरंतर काश्त अभिलिखित है। जो कि दस्जावेजात से स्वतः प्रमाणित है। अपीलांट/वादी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तो का उल्लंघन भी नहीं किया गया है।

इसी क्रम के अनुसार भूसंशोधन जमाबंदी में खसरा नम्बर 1542 घनश्याम वल्द देवीलाल कौम सोलंकी साकिन देह खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते समय व तनकी संख्या 1 जो कि पूर्ण रूप से वादी/अपीलांट के पक्ष में जरिए दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–11 के अनुसार अपीलांट के पक्ष में सिद्ध होना विधि सम्मत था बावजूद उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र जमाबंदी संवत 2041 की प्रविष्ठियों के आधार पर अपना निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को जमाबंदी संवत 2041 के पूर्व की प्रविष्ठियों का विवरण व विश्लेषण करते हुए अपने न्यायिक विवेक के अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। तनकी संख्या 1 में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दो वर्किंग जमाबंदीयां पेश किया जाना बताया है एवं दोनों ही प्रतिलिपियों में अंतर होना बताया है किंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दो वर्किंग जमाबंदीयां उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज होने से उक्त तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में तय किया गया जो कि पूर्णतया राजस्व दस्तावेजों के विपरीत होकर त्रुटिपूर्ण है।

अपीलांट द्वारा आराजीयात का मिलान क्षेत्रफल भी प्रदर्श पी–5 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 794 रकबा 0.70 है0 व खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.70 है0 समान है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1297 कई खसरों में परिवर्तित हो चुका है, किंतु समस्त नए खसरो में से किसी भी खसरे पर वादी/अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। जो कि प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–11 साबित होता है कि उक्त आराजीयात पर वादी/अपीलांट निर्बाध रूप से निरंतर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी/अपीलांट जरिए आवंटन गैर खातेदारी में दर्ज हुआ एवं उसके उपरांत वादी/अपीलांट को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। उक्त वादग्रस्त आराजीयात को किस प्रकार सिवायचक दर्ज किया गया एवं किस सक्षम न्यायालय आदेश/आवंटन द्वारा प्रतिवादीगण का नाम अंकित किया गया ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त बिंदु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय था परंतु उनके द्वारा इस प्रश्न पर विचार किए बिना ही अपने निर्णय में तनकीयों का बिना राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किए सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया।

वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श पी–2 में नामांतकरण संख्या 174 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1542 लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयलाल दरोगा साकिन देह को गैर खातेदारी अंकन स्वीकार किया गया। प्रदर्श पी–4 में उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 794 रकबा 0.70है0 लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय लाल दरोगा साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श डी–1 में नामांतरकरण संख्या 174 से खसरा नम्बर 1542 का लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयलाल दरोगा साकिन देह को गैर खातेदार से खातेदार अंकन स्वीकार किया गया। इसी क्रम में नामांतरकरण संख्या 250 दिनांक 11.2.1993 को मृतक लक्ष्मीनारायण के स्थान पर उक्त नामांतकरण जरिए विरासत लाली उर्फ गीता पुत्री लक्ष्मीनारायण के नाम अंकन स्वीकार किया गया। इसके पश्चात उक्त आराजीयात का नामांतरकरण लाली उर्फ गीता पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नानूराम व पृथ्वीराज सिंह पुत्र औंकार के नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी यह फाइण्डिंग नहीं दी गई कि किस आधार पर उक्त आराजीयात घनश्याम पुत्र देवीलाल सोलंकी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयलाल दरोगा दर्ज किया गया। पत्रावली में ऐसा कहीं कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं है जो इस तथ्य को साबित करे की उक्त वादग्रस्त आराजीयात का अंकन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व जमाबंदीयों में अंकित किया गया। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज यथा बैचाननामा या सक्षम न्यायालय का आदेश या प्रतिवादीगण का आवंटन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादीगण के नाम संवत 2041 की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्ठियों का विधिक सोर्स ऑफ टिनेन्सी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात घनश्याम पुत्र देवीलाल सोलंकी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयलाल दरोगा के नाम दर्ज की गई, रेस्पोडेंट/प्रतिवादी विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए है कि किस आधार पर उक्त आराजीयात उनके नाम दर्ज हुई है। अपीलांट को उक्त भूमि आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज होना भी पूर्णतः दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित था एवं आज दिनांक तक उक्त आवंटन आदेश प्रभाव में है, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे संबंधित तहसीलदार से उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त राजस्व दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन कर उक्त प्रकरण की तह तक जाकर राजस्व दस्तावेजों के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय व डिक्री पारित करते परंतु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का विधि संगत प्रयोग नहीं किया जाकर सरसरी तौर पर बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विश्लेषण किए ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो कि न्याय संगत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 का निर्णय सिर्फ इस आधार पर किया गया कि पृथ्वी राजसिंह को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी गलत रूप से निर्णित कि गई क्योंकि वादी/अपीलांट द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए थे एवं सहवन से पृथ्वीराजसिंह पक्षकार के रूप में संयोजित होने से रह गया था तो न्यायालय स्वयं उसे जा0दी0 आदेश 1 नियम 10(2) के तहत पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर उक्त तनकी को वादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की गई।

इसके अतिरिक्त मूल खसरा नम्बर 1297 का कुल रकबा 14–18–00 रहा है जिसमें से अपीलांट को 4–18–00 भूमि नियमानुसार आवंटित होकर गैरखातेदारी में दर्ज रही एवं उसके पश्चात खातेदारी में दर्ज होना दस्तावेजी

साक्ष्य से जाहिर है तथा प्रतिवादीगण भी स्वयं भी इसी खसरा नम्बर में से 5 बीघा भूमि का आवटंन होना कथित कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है अतः इस संबंध में मूल खसरा संख्या 1297 में से कितनी भूमियों का आवंटन हुआ है एवं आवंटन के उपरांत आवंटित रकबे की तरमीम कर उसका पृथक नवीन खसरा निर्मित कर जमाबंदी मे दर्ज किया गया था या नहीं इस संबंध में तहसीलदार से विस्तृत बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त किया जाना न्यायसंगत है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उसके उपरांत यह जांच करनी आवश्यक है कि मूल खसरा सख्या 1297 का कुल रकबा 14–18–00 में से उभयपक्ष को अलग–अलग आवंटन हुआ है या नहीं। यदि अभिलेखों के आधार से यह प्रमाणित हो कि मूल खसरा संख्या 1297 रकबा 14–18–00 से दोनों को क्रमशः 4–18–00, 5 बीघा आवंटन हुआ है तो दोनों आवंटीगण का पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड संधारित किया जाना न्यायसंगत एवं विधिनुकुल होगा।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी तहसीलदार केकडी से उक्त प्रकरण से संबंधित राजस्व रिकार्ड की विस्तृत बिन्दुवार रिपोर्ट को प्राप्त कर गहनता से अवलोकन करे कि अपीलांट का नाम पूर्व की जमाबंदीयों में खातेदार दर्ज होने के बावजूद किस आधार पर वर्तमान जमाबंदी में उसका नाम हजफ/विलोपित किया गया एवं प्रतिवादी को किस आधार पर जमाबंदी में दर्ज किया गया ? इस तथ्य की जांच करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.07.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर